



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14622

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 583 सन् 2026

संदीप कुमार यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार सिंह, बंशी धर मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह तथा आयोग के लिए श्री अवनीश त्रिपाठी को सुना।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसने आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2015-16 के अनुसरण में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 7 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने इसके अनुसरण में आवेदन किया था। उसे साक्षात्कार के लिए भी बुलाया गया था, हालांकि, सत्यापन के समय यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत आपराधिक मामला संख्या '332/2019' और गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मामला संख्या 291/2020 लंबित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 21.05.1958 के शासनादेश के अनुसार, केवल दोषसिद्धि ही उम्मीदवार को भर्ती के लाभों से पूरी तरह वंचित करने का आधार नहीं है, विशेषकर जब इस संबंध में विचार किया जाना आवश्यक हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आयोग की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह और श्री अवनीश त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे की प्रथम दृष्ट्या प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जांच की जानी आवश्यक है।

4. बार की ओर से दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रति प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी इस प्रत्यावेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

5. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

21 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।